भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1627

दिनांक 10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

1627. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में स्थापित राज्य पशु कल्याण बोर्डों (एसएडब्ल्यूबी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक एसएडब्ल्यूबी की वर्तमान कार्यात्मक स्थिति क्या है और क्या यह राज्य-वार पूरी तरह से प्रचालनात्मक, आंशिक रूप से कार्यशील या निष्क्रिय है;

(ग) प्रत्येक एसएडब्ल्यूबी में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पदों और कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियों की संख्या क्या है;

(घ) इस योजना के प्रारंभ से अब तक इन बोर्डों द्वारा पंजीकृत पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्तों के प्रजनकों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) प्रत्येक एसएडब्ल्यूबी द्वारा मंत्रालय को कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में लिए गए प्रमुख निर्णयों सहित हाल ही में हुई बैठकों की संख्या कितनी है, कुल कितनी बैठकें हुई हैं, बैठकों की आवृत्ति कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या किसी एसएडब्ल्यूबी के प्रचालन में चुनौतियों की सूचना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा बजटीय सहायता, क्षमता निर्माण और निगरानी तंत्र सहित एसएडब्ल्यूबी को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए, लक्षद्वीप को छोड़कर, देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

(ख) प्रत्येक एसएडब्ल्यूबी (SAWB) की कार्य संबंधी वर्तमान स्थिति का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है। यह विवरण दर्शाता है कि वे पूर्णत: प्रचालनरत हैं अथवा आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा निष्क्रिय हैं।

(ग) माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के W.P.(C) No.440 of 2000 दिनांक 6.8.2008 और W.P(C) No.881 of 2014 दिनांक 13.7.2015 के निदेशों का अनुपालन करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा राज्य पशु कल्याण बोर्ड (SAWB) का गठन किया गया है। उनका गठना पशु कल्याण कानूनों और नीतियों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने के लिए किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकतानुसार नियुक्त की गई जनशक्ति (manpower) का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(घ) पालतू पशुओं की दुकानों और कुत्तों के प्रजनकों के पंजीकरण के लिए कोई अलग योजना नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 अधिसूचित किए हैं, जिनके अंतर्गत राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (SAWB) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही पालतू पशु दुकानों और कुत्ता प्रजनकों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैं। SAWB द्वारा पंजीकृत पालतू पशु दुकानों और कुत्ता प्रजनकों की संख्या का विवरण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखा जाता है।

(ङ) और (च) वर्तमान में, ऐसा कोई वैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है, जिसके अंतर्गत राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (SAWB) को भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) या मंत्रालय को रिपोर्ट और बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हो।

(छ) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ज) पशुपालन और डेयरी विभाग तथा भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने पशु कल्याण के मुद्दों की समीक्षा करने, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने के लिए राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की हैं।

हालांकि, राज्य बोर्ड को बजटीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य बोर्ड स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके कामकाज के लिए आवश्यक बजटीय व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

*****

अनुबंध –I

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा गठित राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	पूरी तरह कार्य कर रही हैं	आंशिक रूप से कार्य कर रही हैं	निष्क्रिय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		हां	
2	असम		हां	
3	आंध्र प्रदेश	हां		
4	अरुणाचल प्रदेश			हां
5	बिहार	हां		
6	चंडीगढ़		हां	
7	छत्तीसगढ़		हां	
8	दादरा और नगर हवेली (दमन और दीव)			हां
9	गोवा	हां		
10	गुजरात	हां		
11	हिमाचल प्रदेश		हां	
12	हरयाणा		हां	
13	झारखंड			हां
14	जम्मू एवं कश्मीर	हां		
15	केरल	हां		
16	कर्नाटक	हां		
17	महाराष्ट्र	हां		
18	मेघालय		हां	
19	मिजोरम		हां	
20	मध्य प्रदेश	हां		
21	मणिपुर			हां
22	दिल्ली	हां		
23	नागालैंड			हां
24	ओडिशा	हां		
25	पंजाब	हां		
26	पुदुचेरी			हां
27	राजस्थान	हां		
28	सिक्किम			हां
29	तमिलनाडु	हां		
30	तेलंगाना	हां		
31	त्रिपुरा	हां		
32	उत्तराखंड	हां		
33	उत्तर प्रदेश		हां	
34	पश्चिम बंगाल		हां	
35	लद्दाख		हां	
36	लक्षद्वीप			हां